

संसद की भूमिका

आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत हैं निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोक सभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आम तौर पर लोक सभा के लिए हर पाँच साल में चुनाव करवाए जाते हैं। जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं।

The Role of the Parliament

Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. These are participation by people in the decision-making process and government by consent. The Parliament in our system has immense powers because it is the representative of the people. Elections to the Parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. The Lok Sabha is usually elected once every five years. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map on page 41. Each of these constituencies elects one person to the Parliament. The candidates who contest elections usually belong to different political parties.

M.P

Parliament

6

L.S

Term of L.S
लोकसभा
5 years

R.S

Term of R.S
राजसभा

Permanent House
(दफतीली फ्लोय)

Term of L.S Member
सदस्य का कार्यकाल = 5 years

Term of R.S Member
सदस्य का कार्यकाल = 6 वर्ष

नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आइए इस बात को और अच्छी तरह समझें।

सत्रहवीं लोक सभा के चुनाव का परिणाम (2019)	
राजनीतिक दल	निर्वाचित सांसदों की संख्या
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)	303
इंडियन नेशनल काँग्रेस (आईएनसी)	52
द्रविड मुनेत्र कलकम (डीएमके)	24
ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस (एआईटीसी)	22
युवा श्रम और किसान काँग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी)	22
शिव सेना (एसएस)	18
जनता दल (यूनाइटेड) (जेडीयू)	16
बीजू जनता दल (बीजेडी)	12
बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा)	10
तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस)	9
लोक जन शक्ति पार्टी (एलजेएसपी)	5
समाजवादी पार्टी (सपा)	5

निर्दलीय	4
नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी (एनसीपी)	4
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) (सीपीआईएम)	3
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल)	3
जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेएंडके एनसी)	3
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी)	3
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम)	2
अपना दल (अपना दल)	2
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई)	2
शिरोमणि अकाली दल (एसएडी)	2
आम आदमी पार्टी (आप)	1
एजेएसयू पार्टी (एजेएसयू)	1
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कलकम (एआईएडीएमके)	1
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ)	1
जनता दल (सेक्यूलर)	1
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम)	1
केरल काँग्रेस (एम) (केसी(एम))	1
मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ)	1
नागा पीपुल फ्रंट (एनपीएफ)	1
नेशनल पीपुल पार्टी (एनपीपी)	1
नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (पीडीपीपी)	1
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी)	1
रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी)	1
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम)	1
बिदुथलाई चिरुथाईगल कच्ची (बीसीके)	1
कुल योग	543

With the help of the table below, let us understand this further.

Results of the 17th Lok Sabha Elections, (May 2019)

Political Party	No. of MPs
Bharatiya Janata Party (BJP)	303
Indian National Congress (INC)	52
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK)	24
All India Trinamool Congress (AITC)	22
Yuva Jana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP)	22
Shiv Sena (SS)	18
Janata Dal (United) (JD (U))	16
Biju Janata Dal (BJD)	12
Bahujan Samaj Party (BSP)	10
Telangana Rashtra Samithi (TRS)	9
Lok Jan Shakti Party (LJSP)	5
Samajwadi Party (SP)	5

Independents (Ind.)	4
Nationalist Congress Party (NCP)	4
Communist Party of India (Marxist) (CPI)(M)	3
Indian Union Muslim League (IUML)	3
Jammu and Kashmir National Conference (J&KNC)	3
Telugu Desam Party (TDP)	3
All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM)	2
Apna Dal (Apna Dal)	2
Communist Party of India (CPI)	2
Shiromani Akali Dal (SAD)	2
Aam Aadmi Party (AAP)	1
AJSU Party (AJSU)	1
All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK)	1
All India United Democratic Front (AIUDF)	1
Janata Dal (Secular) (JD(s))	1
Jharkhand Mukti Morcha (JMM)	1
Kerala Congress (M)(KC(M))	1
Mizo National Front (MNF)	1
Naga Peoples Front (NPF)	1
National People's Party (NPP)	1
Nationalist Democratic Progressive Party (PDPP)	1
Rashtriya Loktantrik Party (RLP)	1
Revolutionary Socialist Party (RSP)	1
Sikkim Krantikari Morcha (SKM)	1
Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK)	1
Grand Total	543

बगल में दी गई तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें-

कौन सरकार बनाएगा? क्यों?

विपक्ष किसको कहा जाएगा? उसकी क्या भूमिका है?

लोक सभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे?

क्या यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी ही है?

Use the table alongside to answer the questions below:

Who will form the government? Why?

Who will be present for discussions in the Lok Sabha?

Is this process similar to what you have read about in Class VII?

पृष्ठ 28 पर दिए गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोक सभा चुनावों के परिणाम दिखाए गए हैं। इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब दें-

- (क) लोक सभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक हैं? आपके विचार से ऐसा क्यों है?
- (ख) लोक सभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है?
- (ग) किस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं?
- (घ) आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा? कारण बताएँ।

The photograph on page 28 shows results from the 3rd Lok Sabha elections held in 1962. Use the photograph to answer the following questions:

- a. Which state has the highest number of MPs in the Lok Sabha? Why do you think this is so?
- b. Which state has the least number of MPs in the Lok Sabha?
- c. Which political party has won the most seats in all states?
- d. Which party do you think will form the government? Give reasons why.

पंद्रहवीं लोक सभा के चुनाव का परिणाम (2009)

राजनीतिक दल प्राप्त सीटें

राष्ट्रीय दल

बहुजन समाज पार्टी (बसपा)	21
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)	116
कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया	4
कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माक्सिसिस्ट)	16
इंडियन नेशनल काँग्रेस	206
नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	9
राष्ट्रीय जनता दल (राजद)	4

राज्यीय दल (क्षेत्रीय दल)

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	9
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक	2
ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस	19
बीजू जनता दल	14
द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके)	18
जम्मू एंड कश्मीर नेशनल काँग्रेस	3

जनता दल (सेक्यूलर)	3
जनता दल (यूनाइटेड)	20
झारखंड मुक्ति मोर्चा	2
मुस्लिम लीग केरला राज्य समिति	2
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	2
समाजवादी पार्टी (सपा)	23
शिरोमणि अकाली दल	4
शिव सेना	11
तेलंगाणा राष्ट्रीय समिति (टीआरएस)	2
तेलुगु देशम (टीडीपी)	6
अन्य क्षेत्रीय पार्टी	7
पंजीकृत अमान्यताप्राप्त दल	16
स्वावलंबी	3
कुल योग	543

स्रोत : www.eci.nic.in

इस तालिका में 2009 में हुए पंद्रहवीं लोक सभा के चुनाव परिणाम दिखाए गए हैं। इन चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलीं लेकिन फिर भी वह लोक सभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) का गठन करके सरकार बनानी पड़ी।

Results of the 15th Lok Sabha Elections, (May 2009)

Political Party	No. of MPs
-----------------	------------

National Parties

Bahujan Samaj Party (BSP)	21
Bharatiya Janata Party (BJP)	116
Communist Party of India (CPI)	4
Communist Party of India (Marxist) (CPM)	16
Indian National Congress (INC)	206
Nationalist Congress Party (NCP)	9
Rashtriya Janata Dal (RJD)	4

State Parties (Regional Parties)

All India Anna DMK (AIADMK)	9
All India Forward Bloc	2
All India Trinamool Congress	19
Biju Janata Dal (BJD)	14
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK)	18
Jammu & Kashmir National Conference	3

Janata Dal (Secular)	3
Janata Dal (United)	20
Jharkhand Mukti Morcha	2
Muslim League Kerala State Committee	2
Revolutionary Socialist Party	2
Samajwadi Party (SP)	23
Shiromani Akali Dal	4
Shiv Sena	11
Telangana Rashtra Samithi (TRS)	2
Telugu Desam (TDP)	6
Other Regional Parties	6
Registered Unrecognised Parties	12
Independents	9
Grand Total	543

Source: www.eci.nic.in

The above table gives you the results of the 15th Lok Sabha elections held in 2009. In these elections, the INC got a large number of seats but still not enough to emerge as the majority party in the Lok Sabha. It, thus, had to form a coalition, the United Progressive Alliance (UPA), with other political parties who were its allies.


चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद (एम.पी.) कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं-

Parliamentary Constituents:

सांसद

Once elected, these candidates become Members of Parliament or MPs. These MPs together make up the Parliament. Once elections to the Parliament have taken place, the Parliament needs to perform the following functions:

M.P



543

Electoral
निवाचन]
yes


NDA = 330
UPA = 200
= 15




100
 300 ✓
 10
 10
 10 → P
 20
 20
 20
 40
 15"

NDA
 INDI (UPA)

Electives लोडसमा = Result





(क) राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना

भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं- राज्य सभा और लोक सभा। लोक सभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोक सभा में कुल 543

543-

A. To Select the National Government

Parliament of India consists of the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. After the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 elected (plus 2 Anglo-Indian

543

map

=

निर्वाचित सदस्य (और 2 मनोनीत सदस्य) होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोक सभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं।

nominated) members in Lok Sabha, to have a majority a party should have at least half the number i.e. 272 members or more. The Opposition in Parliament is formed by all the political parties that are not part of the majority party/coalition formed. The largest amongst these parties is called the Opposition party.

~~INDU~~ ~~L.K.~~ ~~NDA~~

SP - UPA
12

272

कार्यपालिका का चुनाव करना लोक सभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जेहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है।

One of the most important functions of the Lok Sabha is to select the executive. The executive, as you read in Chapter 1, is a group of persons who work together to implement the laws made by the Parliament. This executive is often what we have in mind when we use the term government.

सरकार

कार्यपालिका
Executive

543

मिनी स्टैट
regulator

MP



सरकार / Executive

राष्ट्रपति

PM

कार्गु
गे
दि

अनिवृत्त



भारत का प्रधानमंत्री लोक सभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं।

The Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha. From the MPs who belong to her party, the Prime Minister selects ministers to work with her to implement decisions. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance etc.

हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं।

$$\begin{array}{r}
 972 \\
 971 \\
 \hline
 544
 \end{array}$$


Often times in the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. They then join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as a coalition government.

$$\begin{array}{r}
 972 \\
 \hline
 972
 \end{array}$$



केंद्रीय सचिवालय की ये दो मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहाँ वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं।

These two buildings of the Central Secretariat, the South Block and North Block were built during the 1930s. The photo on the left is of the South Block which houses the Prime Minister's Office (PMO), the Ministry of Defence and the Ministry of External Affairs. The North Block is the photo on the right and this has the Ministry of Finance and the Ministry of Home Affairs. The other ministries of the Union Government are located in various buildings in New Delhi.



DOM

लोकसभा
272 +
✓



PM
PM + Cabinet
मंत्रिमंडल

जे
के
ए

Con.

1 Minute
मंत्रिमंडल



राज्य सभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्य सभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्य सभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्य सभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोक सभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्य सभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं।

The Rajya Sabha functions primarily as the representative of the states of India in the Parliament. The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. It, therefore, has an important role of reviewing and altering (if alterations are needed) the laws initiated by the Lok Sabha. The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the Legislative Assemblies of various states. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the President.

Parliament ✓
↓

(I) सरकार Government ✓


(II) सरकार को Control

(ख) सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना

जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जनसमर्थन जुटाते हैं।

B. To Control, Guide and Inform the Government


The Parliament, while in session, begins with a question hour. The question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. This is a very important way through which the Parliament controls the executive. By asking questions the government is alerted to its shortcomings, and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the Parliament, i.e. the MPs. Asking questions of the government is a crucial task for every MP. The Opposition parties play a critical role in the healthy functioning of a democracy. They highlight drawbacks in various policies and programmes of the government and mobilise popular support for their own policies.



1 year

Parliament

Session सत्र




बजट सत्र Session Budget session (फरवरी - मई)

JUNE



मानसून सत्र Monsoon session (अक्टूबर - sep)

Oct





शरद सत्र Winter session - NOV - Dec
'गति नही' ?

Jan

Parliament Day

दि





पश्चिमाल 11-12

5
C
S

संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या 48

दिनांक 15 दिसंबर 2017 को उत्तर के लिए

बच्चों के लिए योजनाओं का समेकन

48. डा. मनोज राजोरिया :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) : क्या सरकार का देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है;
 (ख) : यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और
 (ग) : यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(क) से (ग) : मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 का विकास किया है जो ज्यादातर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित है। इसमें मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के लिए रूप रेखा का प्रावधान है तथा यह बच्चों की बहुआयामी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों से सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के चार प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् (1) उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण (2) शिक्षा एवं विकास, (3) संरक्षण और (4) भागीदारी में वर्गीकृत करती है। यह विभिन्न रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं एवं नीतियों तथा हितधारकों को भी चिह्नित करती है।

स्रोत : <http://loksabha.nic.in>

The following is an example of a question asked in Parliament.

Lok Sabha

Unstarred Question No: 48 Answered On: 15.12.2017

Converge of Schemes for Children

Manoj Rajoria

Will the Minister of Women and Child Development be pleased to state:-

- (a) whether the Government proposes to converge various schemes and policies for children in the country;
 (b) if so, the details thereof; and;
 (c) if not, the reasons therefor?

Answer

Minister of State in the Ministry of Women and Child Development (Dr. Virendra Kumar)

(a) to (c) The Ministry has developed the National Plan of Action for Children 2016 which largely draws upon the existing programmes and schemes of various Ministries/Departments. It provides a framework for convergence and co-ordination between Ministries/Departments and State/UTs Governments and encourages collective action from all stakeholders to address multi-dimensional vulnerabilities experienced by children. The National Plan of Action for Children 2016 categorizes children's rights under four key priority areas; (i) Survival, Health and Nutrition, (ii) Education and Development, (iii) Protection and (iv) Participation. It identifies key programmes, schemes and policies as well as stakeholders for the implementation of different strategies.

Source: <http://loksabha.nic.in>

सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फ़ीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है।

The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the questions asked by the MPs. In addition, in all matters dealing with finances, the Parliament's approval is crucial for the government. This is one of the several ways in which the Parliament controls, guides and informs the government. The MPs as representatives of the people have a central role in controlling, guiding and informing Parliament and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy.

उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी माँगी जा रही है?

अगर आप सांसद होते तो कौन-से दो सवाल पूछते?

In the above question, what information is being sought from the Minister of Women and Child Development?

If you were a Member of Parliament (MP), list two questions that you would like to ask.

नए कानून किस तरह बनते हैं?

कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की ज़िम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी।

How Do New Laws Come About?

The Parliament has an important role in making laws. There are many ways through which this takes place and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. An important role of Parliament is to be sensitive to the problems faced by people. Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of Parliament and the process adopted for this issue to become law.

① सरकार

② सरकार - नियंत्रित ✓ Country

③ कानून बनाना

97-

लोकसभा

272

543

500

वर्ध


supra

Parliament

XX 817

भा. एक. 1

सरकार



BTD

Congress

$$272 \times = 271 + 1$$

$$271 = 27$$

125119

इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है। अध्याय 1 के शब्द संकलन में आप इसका मतलब पढ़ चुके हैं। अब एक कारण बताइए कि आप 1870 के राजद्रोह कानून को मनमाना क्यों मानते हैं। 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है?

The word 'arbitrary' has been used earlier in this book and you've read what the word means in the Glossary of Chapter 1. The word 'sedition' has been included in the Glossary of this chapter. Read the Glossary descriptions of both words and then answer the following questions:

State one reason why you think the Sedition Act of 1870 was arbitrary? In what ways does the Sedition Act of 1870 contradict the rule of law?



सतत विकास लक्ष्य 5: लैंगिक समानता
www.in.undp.org

जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य (आमतौर पर पति) घर की किसी औरत (आमतौर पर पत्नी) के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुँचाता है, या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुँच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून, 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने 'घरेलू' शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएँ भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएँगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में 'रहती हैं' या 'रह चुकी' हैं।

Domestic violence generally refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. Injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her. Abuse of the woman can also include verbal, sexual and economic abuse. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of the term 'domestic' to include all women who 'live or have lived together in a shared household' with the male member who is perpetrating the violence.

अक्टूबर 2006



अरे शाज़िया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना?



महिलाओं के लिए ही क्यों...! हिंसा-मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो न कुसुम इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया। बल्कि पहले तो हमें नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़ी।



कुसुम और शाज़िया एक महिला संगठन की सदस्य हैं। उन्हें इस सफर की एक-एक कड़ी याद है।

October 2006



Shazia, did you read today's newspapers? Isn't it a great day for women?



Not just women. Violence-free homes will benefit everyone. Kusum, it's taken such a long time to get this law passed. In fact, it began with establishing the need for a new law.



Kusum and Shazia work for a women's organisation. They remember the journey of how the Protection of Women from Domestic Violence Act got passed.

अप्रैल 1991: दफ्तर का एक आम दिन...

मुझे सलाह चाहिए। मेरा आरमो मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई मुझे बड़ी शर्म आती है। पर अब बदरगत नहीं होता। लेकिन मेरे पास कोई राह भी नहीं है। मैं कहीं जाऊँ?



मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। बहुत धारा-धारा कहते हैं मुझे। मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे जहाँ तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं।

मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि बरपीट बंद हो जाए।

मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से न निकाल जाए।

बर्दीकाम्पती से सौलदा कानून औरदारी कानून है। उसमें वे दोनो रास्ते सुचारुन नहीं हैं।



April 1991: A typical day at their office...

I need advice. My husband beats me up. I haven't told anyone so far. I feel so ashamed. I can't go on like this anymore. But I have nowhere to go.



I am being ill-treated by my son and daughter-in-law. They verbally abuse me. I have no access to my bank accounts. They may even throw me out.

I do not want to go to the police. I just want to stop the violence.

I just don't want to be thrown out of the house I am living in.

Unfortunately the existing law is a criminal one and does not offer these options.



1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून की माँग उठती रही।



1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन 'लॉयर्स कलेक्टिव' ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा (रोकथाम एवं सुरक्षा) विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया।



Throughout the 1990s, the need for a new law was raised in different forums.

We've heard testimonies of several women. We've seen that women want protection against being beaten, the right to continue living in a shared household and often temporary relief. We need a new civil law to address this issue.



In 1999, Lawyers Collective, a group of lawyers, law students and activists, after nation-wide consultations took the lead in drafting the Domestic Violence (Prevention and Protection) Bill. This draft bill was widely circulated.

The definition of domestic violence should include physical, economic, sexual and verbal and emotional abuse.

The law should cover any women living within a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household.

What about some monetary relief?



कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए।



दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दीं। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमिटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर माँगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों में मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ।



अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान...




संवाददाता सम्मेलन के दौरान...



In December 2002, the Standing Committee submitted its recommendations to the Rajya Sabha and these were also tabled in the Lok Sabha. The Committee's report accepted most of the demands of the women's groups. Finally a new bill, was reintroduced in Parliament in 2005. After being passed in both houses of Parliament, it was sent to the President for his assent. The Protection of Women from Domestic Violence Act came into effect in 2006.




At a press conference in October 2006



The press conference continues...





‘घरेलू हिंसा’ से आप क्या समझते हैं? हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं?

क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो?


उपरोक्त चित्रकथा-पट्ट को पढ़कर बताइए कि लोगों ने कौन से दो तरीकों से संसद पर दबाव बनाया?

What do you understand by 'domestic violence'? List the two rights that the new law helped achieve for women who are survivors of violence.


Can you list one process that was used to make more people aware of the need for this law?

From the above storyboard, can you list two different ways in which people lobbied Parliament?

जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह-तरह से संघर्ष करती हैं। इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय 'सरवाइवर' कहना ज्यादा बेहतर है। इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे।



Often women who face violence or are abused are seen as victims. But women struggle in several different ways to survive these situations. Therefore, it is more accurate to refer to them as survivors rather than as victims.



बगल में दिए गए पोस्टर के 'बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त' वाक्य खंड से आप क्या समझते हैं?

In the following poster, what do you understand by the phrase 'Equal Relationships are Violence Free'?

इस उदाहरण से साफ़ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविजन रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के ज़रिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के ज़रिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है।

As the above example shows, the role of citizens is crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws. From establishing the need for a new law to its being passed, at every stage of the process the voice of the citizen is a crucial element. This voice can be heard through TV reports, newspaper editorials, radio broadcasts, local meetings - all of which help in making the work that Parliament does more accessible and transparent to the people.

अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून

आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है। फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसीलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएँ कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है।

Unpopular and Controversial Laws

Let us now look at the situation where the Parliament passes laws that turn out to be very unpopular. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. Hence, people might criticise this law, hold public meetings, write about it in newspapers, report to TV news channels etc. In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the Parliament. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the Parliament to change this.



जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किए हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोज़ा पार्क्स नामक अफ़्रीकी-अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था।

रोज़ा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थीं जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ़्रीकी-अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग-अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग-अलग होती थी। रोज़ा पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के ज़रिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रियता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को ग़ैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोज़ा पार्क्स बस में यात्रा करती हुई दिखाई दे रही हैं।



As you read in the earlier section on the rule of law, Indian nationalists protested and criticised arbitrary and repressive laws being enforced by the British. History provides us with several examples of people and communities who have struggled to end unjust laws. In your Class VII book, you read of how Rosa Parks, an African-American woman, refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 December 1955. She was

protesting the law on segregation that divided up all public spaces, including the streets, between the whites and the African-Americans. Her refusal was a key event that marked the start of the Civil Rights Movement, which led to the Civil Rights Act in 1964, which prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin in the U.S.A.

उदाहरण के लिए, नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैरकानूनी घोषित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ़-सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून ज़रूरी हैं। तभी लोग आसानी से फुटपथों पर चल पाएँगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि

For example, various municipal laws on the use of space within municipal limits often make hawking and street vending illegal. No one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavements easily. However, one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to

पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को ज़रूरी चीज़ें और सेवाएँ बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुँचाते हैं। इसी से उनकी रोज़ी-रोटी भी चलती है। लिहाज़ा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फ़ैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है।

the millions living in a large city. This is their means of livelihood. Hence, if the law favours one group and disregards the other it will be controversial and lead to conflict. People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue. The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they don't adhere to the Constitution.

एक सप्ताह तक अखबार पढ़ें या टेलीविजन पर खबरें देखें और पता लगाएँ कि क्या कोई ऐसा अलोकप्रिय कानून है जिसका भारत या कहीं और के लोग विरोध कर रहे हैं।



ऊपर दी गई तस्वीरों में अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध के कुछ अन्य तरीके भी दिखाए गए हैं।

Read the newspapers/watch news on TV for a week and find out if there are any unpopular laws that people in India or around the world are currently protesting.



List the three forms of protest that you see in the above photos.




हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के ज़रिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी।

We need to remember that our role as citizens does not end with electing our representatives. Rather, it is then that we begin to use newspapers and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticise their actions when we feel it is required. Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps Parliament perform its representative functions properly.

दोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए?

2014 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया
 में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का
 आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है?
 से संसद में कितने सांसद जाते हैं? कुछ
 को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों
 है?

आपने पढ़ा था कि भारत में
 'संसदीय शासन व्यवस्था' में तीन स्तर
 से एक स्तर संसद (केंद्र सरकार)
 त्रि-स्तरीय विभिन्न राज्य विधायिकाओं
 (राज्य विधायिकाओं) का होता है। अपने क्षेत्र के
 विधायकों से संबंधित सूचनाओं के
 निम्नलिखित तालिका को भरें-




Exercises

1. Why do you think our national movement supported the idea that all adults have a right to vote?
2. In this 2004 map of Parliamentary constituencies alongside, roughly identify the constituencies in your State. What is the name of the MP from your constituency? How many MPs does your state have? Why are certain constituencies coloured green while others are coloured blue?
3. You have read in Chapter 1 that the 'Parliamentary form of government' that exists in India has three tiers. This includes the Parliament (central government) and the various State Legislatures (state governments). Fill in the following table with information on the various representatives from your area:

TOTAL SEATS 543

GEN	412
SC	84
ST	47



	राज्य सरकार	केंद्र सरकार
कौन सा/से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है/हैं?		
आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है?		
अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है?		
पिछले चुनाव कब हुए थे?		
अगले चुनाव कब होंगे?		
आपके राज्य से कितनी महिला प्रतिनिधि हैं?		

	State Government	Central Government
Which political party/parties is/are currently in power?		
Who (name) is the current representative from your area?		
Which political parties currently form the Opposition?		
When were elections last held?		
When will the next elections be held?		
How many women representatives are there (from your state)?		

4. घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग-अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए।
4. Re-read the storyboard on how a new law on domestic violence got passed. Describe in your own words the different ways in which women's groups worked to make this happen.



स्वीकृति- किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति (निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से) और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की ज़रूरत, दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है।

गठबंधन- इसका मतलब समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है।

अनसुलझे- इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहाँ समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है।

आलोचना- किसी व्यक्ति या चीज़ में कमियाँ निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है।

विकासक्रम- सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकासक्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस अध्याय में विकासक्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ।



Approval: To give one's consent to and be favourable towards something. In the context of this chapter, it refers both to the formal consent (through elected representatives) that Parliament has as well as the fact that it needs to continue to enjoy the people's trust.

Coalition: A temporary alliance of groups or parties. In this chapter, it refers to the alliance formed by political parties after elections when no party has been able to get adequate seats to form a clear majority.

Criticise: To find fault with or disapprove of a person or thing. In the context of this chapter, it refers to citizens finding fault with the functioning of government.

Evolution: Process of development from a simple to a complex form and is often used to discuss the development of a species of plants or animals. In the context of this chapter it refers to the way in which protecting women against domestic violence developed from an urgently-felt need to a new law that can be enforced throughout the country.

राजद्रोह- जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ़ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत नहीं होती। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज़ सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी। लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से पहले वज़ह भी नहीं बताई जाती थी। उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था।

दमनकारी- स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं।


Sedition: This applies to anything that the government might consider as stirring up resistance or rebellion against it. In such cases, the government does not need absolute evidence in order to arrest persons. Under the Sedition Act of 1870, the British had a very broad interpretation of what constituted sedition, and what this meant was that they could arrest and detain any person they wanted under this Act. The nationalists considered this law arbitrary because persons were arrested for a variety of reasons that were seldom clarified beforehand as well as because those arrested were often kept in jail without a trial.

Repressive: To control severely in order to prevent free and natural development or expression. In the context of this chapter it refers to laws that brutally control persons and often prevent them from exercising their Fundamental Rights including Right to Speech and Assembly.

Unresolved: Situations in which there are no easy solutions to problems.

धन्यवाद

३५



→ POLITY